कुलविंदर सिंह और एक अन्य बनाम सौरभ सिंह और अन्य

(न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर)

न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर के समक्ष

कुलविंदर सिंह और एक अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

सौरभ सिंह और अन्य

2018 का सीआर नं. 4192

04 दिसंबर, 2019

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 7 नियम 11-न्यायालय शुल्क अधिनियम-वाद संपत्ति के आनुपातिक मूल्य पर यथा मूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान-यह घोषणा करने के लिए मुकदमा कि विक्रय करने का समझौता अस्तित्व मे है और लागू करने योग्य है-और प्रतिवादियों को विक्रय विलेख को निष्पादित करने और पंजीकृत करने का निर्देश देने वाली अनिवार्य निषेधाज्ञा- अभिनिर्धारित किया गया, न्यायालयों को न्यायालय शुल्क का पता लगाने के लिए वास्तविक राहत का पता लगाना आवश्यक है-तथ्यों पर, अभिनिर्धारित किया गया , दावा की गई राहत की प्रकृति इसे विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद के अलावा और इसे कुछ नहीं बनाती है, हालांकि घोषणा और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक वाद के रूप में जोड़ा गया है-यथामूलय न्यायालय शुल्क देय है।

अभिनिर्धारित किया गया कि, उपर्युक्त मामलों में निर्धारित कानून को लागू करते हुए, न्यायालय शुल्क का पता लगाने के लिए, न्यायालयों को मूल राहत का पता लगाने के लिए वाद में लगाए गए आरोपों पर गौर करने की आवश्यकता है। बेचने के लिए दो समझौते शामिल हैं। बेचने के लिए एक समझौता दिनांक 06.10.2016 का है और दूसरा दिनांक 04.10.2016 का है। वे घोषणा की मांग कर रहे हैं कि दिनांक 06.10.2016 का बेचने का समझौता वैध है और साथ ही साथ दिनांक 06.10.2016 के बेचने के समझौते के अनुसरण में बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं है, बल्कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद है। उपरोक्त के अलावा, वे दिनांक 04.10.2016 के बेचने के समझौते के अनुसरण में बिक्री-विलेख के निष्पादन की भी मांग कर रहे हैं, जो फिर से विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे के अलावा और कुछ नहीं है।

(अनुच्छेद 15)

राहत का अवलोकन करने पर , जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और विस्तृत है, मेरे मन में कोइ संदेह नही रह गया है कि वास्तव में यह घोषणा और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए वाद होने के रूप में उल्लेख करने की आड़ में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए भी एक मुकदमा था।

(अनुच्छेद 16)

याचिकाकर्ताओं की ओर से एस. एस. दिनारपुर, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से इन्द्रजीत सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या की ओर से अंशुल मंगला, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या.3 से 5 के लिए मनमोहन स्वरूप अधिवक्ता।

न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर

(1) यह सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), सब डिवीजन, बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 29.05.2018 के विवादित आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका है, जिसके तहत उतरवादी-प्रतिवादियों द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत प्रार्थना पत्र को मन्जूर किया गया था और याचिकाकर्ता-वादीगण वाद की संपत्ति के आनुपातिक मूल्य पर यथामूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य थे जैसा कि बेचने के समझौते में उल्लेख किया गया है।

(2) यहाँ एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता मुकदमे की संपत्ति के आनुपातिक मूल्य पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जैसा कि बेचने के समझौते में उल्लेख किया गया है, या नहीं।

(3) उक्त आदेश को दरकिनार करने की प्रार्थना करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह विशिष्ट प्रर्दशन के लिए वाद नहीं था और इसलिए, निचली अदालत ने निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि यह बिक्री-विलेख के निष्पादन और पंजीकरण के माध्यम से समझौते को लागू करने में राहत थी। **अरुण शर्मा बनाम उषा सुंदरम**[1] के मामले पर इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने के साथ साथ **सलीम भाई और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[2] का मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया । .हालाँकि, दोनों में से कोई भी निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रासंगिक नहीं है।

(4) **नरिंदर कुमार बनाम नरेश कुमार और अन्य**[3] के मामले में दिए गए फैसले को यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया गया था कि यह इस दलील पर कब्जे की परिणामी राहत के अभाव में यथामूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान आकर्षित नहीं करेगा कि वह पहले से ही विवादित संपत्ति पर काबिज है ।

(5) **सुरिंदर सिंह और अन्य** बनाम **नरिंदर कुमार**[4] और **रविंदर कुमार बनाम नरिंदर कुमार और अन्य**[5] के_मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हुये

1 2015(2) आर. सी. आर. (दीवानी) 72

2 2003 (1) आर. सी. आर. (दीवानी) 464

3 2011 (3) आर. सी. आर. (दीवानी) 298

4 2010 (4) आर. सी. आर. (दीवानी) 138

याचिकाकर्ताओं, के लिए विद्वान अधिवक्ता_ने एक बार फिर कहा कि वादी को यथा मूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है यदि वह उस बिक्री-विलेख को दरकिनार करने की मांग कर रहा है जिसमें वह एक पक्ष नहीं है और कब्जा भी नहीं चाहता है और चूंकि वर्तमान मामले में, वे न तो बिक्री-विलेख के पक्षकार थे और न ही कब्जा चाहते थे, उन्हें अदालत शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

(6) विद्वान अधिवक्ता ने **आइ .एस. सिकंदर(डी) उतराधिकारीयो दवारा** बनाम **के. सुब्रमणि और अन्य**[6] के मामले में भी सर्वोच्य न्यायालय के फैसले पर भरोसा करके तर्क दिया कि वे वाद के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए नहीं कह सकते थे क्योंकि जब तक वे घोषणात्मक मुकदमे में सफल नहीं हो जाते, तब तक यह बनाए रखने योग्य नहीं था। इस प्रकार, उन्हें केवल उस मामले में न्यायालय शुल्क दाखिल करने की आवश्यकता थी जिसमें उन्होंने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसे वे घोषणा के लिए मुकदमे का उनके पक्ष में निर्णय होने के बाद ही दायर कर सकते थे और उन्हें केवल उस स्तर पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी अर्थात् घोषणा वाले वाद के बाद और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद को दायर करते समय उनके पक्ष मे फैसला किया गया ।

(7) यह तर्क दिया गया था कि विचारण न्यायालय ने इस तरह कार्यवाही की क्योंकि यह विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमा था। वही गलत था। जब तक वे घोषणा के लिए मुकदमे में सफल नहीं हो जाते, तब तक वे विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकते। घोषणा के मुकदमे के लिए न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है।

(8) यह आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को केवल बिक्री-विलेख को दरकिनार करे के लिए एक वाद में नयायालय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, यदि उनकी परिणामी राहत उस बिक्री-विलेख को दरकिनार करने की थी जिसमें वे पक्षकार थे और जिसमें वे बिक्री-विलेख में पक्षकार नहीं हैं, तो उन्हें न्यायालय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

(9) सुना ।

(10) विवाद का निपटारा करने के लिए, वाद में दावा की गई राहत को देखना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैः-

(क) इस प्रभाव की घोषणा के लिए कि दिनांक 06.10.2016 को बेचने का समझौता अभी भी मौजूद है और अभी भी वैध है और कानून में लागू करने योग्य है;

(ख) दिनांक 06.10.2016 के बेचने के समझौते को रद्द करने के संबंध में दिनांक 23.12.2017 की सूचना अवैध, अमान्य और शून्य है;

5 2007(2) आर. सी. आर. (दीवानी) 1

6 2014(1) आर. सी. आर. (दीवानी) 236

(ग) प्रतिवादीगण को वादी के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करने और पंजीकृत करने का निर्देश देने वाले अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री;

(घ) इस प्रभाव की घोषणा के लिए डिक्री कि दिनांक 22.02.2018 का बिक्री-विलेख शून्य और अशक्त है;

(ड.) यह घोषणा कि वे दिनांक 04.10.2016 के बेचने के समझौते को आगे बढ़ाते हुए बिक्री-विलेख को निष्पादित करने के हकदार हैं।

(च) प्रतिवादियों को विवादित भूमि को स्थानांतरित और हस्तांतरित करने से रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री;

(छ) वादी के स्वामित्व को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कार्य करने के निर्देश की मांग करने वाले अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री।

(11) इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने **निरंजन कौर** बनाम **निर्बिगन कौर**[7] के मामले में भिनिर्धारित किया कि यदि परिणामी राहत एक महत्वपूर्ण राहत है, तो यह न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (4) (सी) के तहत आएगी। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 8 इस प्रकार पढा जा सकता हैः-

"8. पक्षकारों का यह सामान्य मामला है कि यदि वाद में मुख्य राहत बिक्री विलेख को रद्द करने की मानी जाती है, तो मामला धारा 7 (4) (सी) के दायरे में नहीं आता है और लागू होने वाला एकमात्र प्रावधान अधिनियम का अनुच्छेद 1, अनुसूची I है। अधिनियम की धारा 7 (4) सी) के तहत मामले को लाने के लिए मुख्य और ठोस राहत एक घोषणा की होनी चाहिए और परिणामी राहत उसकी सहायक होनी चाहिए। इसके अलावा, यदि मुकदमे में कोई परिणामी राहत का दावा नहीं किया गया है या दावा किया जा सकता है, तो धारा 7 (4) (सी को आकर्षित नहीं करेगा । धारा 7 (4) सी) स्पष्ट रूप से घोषणात्मक डिक्री या आदेश प्राप्त करने के लिए वाद पर विचार करती है जहां परिणामी राहत की प्रार्थना की गई है। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे सभी मुकदमों में, वादी उस राशि को बताएगा जिस पर वह मांगी गई राहत को महत्व देता है। 1953 के पंजाब अधिनियम नं..31 द्वारा इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है, जिसे निम्न प्रकार से पढा जा सकता हैः

'आगे प्रावधान है कि उपखंड (ग) के तहत आने वाले मुकदमों में, ऐसे मामलों में जहां मांगी गई राहत किसी संपत्ति के संदर्भ में है, ऐसा मूल्यांकन इस अधिनियम के खण्ड 5 के लिये प्रदान किए गए तरीके से गणना की गई संपत्ति के मूल्य से कम नहीं होगा।

---

[7] 1982 पी. एल. आर. 127

(12) **शमशेर सिंह** बनाम **राजिंदर प्रसाद और अन्य**[8] के मामले में सर्वोच्य न्यायालय ने भी कहा कि दावा की गइॅ राहत तक पहुँचने के लिये वाद और प्रार्थना में लगाए गए आरोपों पर गौर किया जाना चाहिए कि क्या यह धारा 7 (4) (सी) के तहत आता है या नहीं? निर्णय का अनुच्छेद चार इस प्रकार पढा जा सकता हैः-

"4. जहाँ तक निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले मुख्य प्रश्न का संबंध है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि वाद पर देय न्यायालय-शुल्क का निर्णय निश्चित रूप से वाद में लगाए गए आरोपों और प्रार्थना के आधार पर तय किया जाना चाहिये और यह प्रश्न कि क्या वादी के मुकदमे को परिणामी राहत मांगने में विफलता के लिए विफल होना होगा, न्यायालय के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, उस स्तर पर न्यायालय को न्यायालय-शुल्क के प्रश्न का निर्णय करते समय वाद में लगाए गए आरोपों पर गौर करना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि वाद का मसौदा तैयार करने में केवल चतुराई के लिए जो मूल राहत मांगी गई है, उसे मांगी गइॅ राहत के सार को देखने के लिये न्यायालय के रास्ते में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले में मांगी गई राहत इस आधार पर है कि विवादित संपत्ति एक संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति है और बंधक को निष्पादित करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि हिंदू कानून के तहत यदि एक संयुक्त परिवार का प्रबंधक पिता है और अन्य सदस्य बेटे हैं तो पिता पर तब तक ऋण रह सकता हैं जब तक कि यह अनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं है, संयुक्त परिवार की संपत्ति को ऋण के भुगतान के लिये एक डिक्री पर निष्पादन कार्यवाही में लेने के लिए खुला रखें, जहां ऋण न केवल एक असुरक्षित ऋण है और ऋण के लिए एक साधारण धन डिक्री है, बल्कि एक बंधक ऋण भी है जिसे भुगतान करने के लिए पिता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है और संपत्ति की बिक्री द्वारा बंधक ऋण की वसूली के लिए एक डिक्री, यहां तक कि जहां बंधक कानूनी आवश्यकता के लिए या पूर्व ऋण के भुगतान के लिए नहीं है (फकीर चंद बनाम हरनाम कौर (1) 1967 एससीआर 68) नतीजतन जब वादी ने इस घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उनके पिता के खिलाफ प्राप्त डिक्री उन पर बाध्यकारी नहीं थी, तो वे वास्तव में या तो डिक्री दरकिनार करने के लिए या डिक्री धारक को गिरवी रखी गई संपत्ति के खिलाफ डिक्री को निष्पादित करने से रोकने वाले निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के लिए कह रहे थे, जैसा कि वह करने का हकदार था।

---

[8] 1973ए आइ आर (एस सी) 2384

यह पहलू है जेब-उल-निसा बनाम दीन मोहम्मद ए. आई. आर. 1941 लाहौर 97 के मामले में लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के एक निर्णय में सामने आया है जिसमे यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

" प्रार्थना खंड में बताये गये केवल मात्र तथ्य को एक घोषणात्मक रूप में व्यक्त किया जाना आवश्यक नहीं है कि मुकदमा केवल घोषणा के लिए है और इससे अधिक नहीं। यदि इस प्रकार प्रकट की गई राहत शुद्ध और सरल घोषणा है और इसमें कोई अन्य राहत शामिल नहीं है, तो मुकदमा अनुच्छेद 17 (iii) के तहत आएगा।

(13) **टी सी सी रेजिडेन्टस वेलफेयर एसोसीएशन** बनाम **मेसर्स टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेंट्स सेंटर व अन्य** [9]**,** के मामले में जिसमें खरीद के संकल्प के अनुसरण में बिक्री विलेख को पंजीकृत करने के लिए एक अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की गई थी, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह एक विशिष्ट प्रदर्शन के बराबर है और आगे अभिनिर्धारित किया कि वादी ऐसी स्थिति में यथा मूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। फैसले का अनुच्छेद 2 निम्न प्रकार से पढा जा सकता हैः-

“2. वादी का यह मामला है कि प्रतिवादी नं. 2,3 और 4 ने वादी-समिति के सदस्यों को आश्वासन दिया कि जैसे ही परिसमापन की औपचारिकताएं समाप्त हो जाएंगी, बिक्री विलेख को निष्पादित किया जाएगा। यह इंगित किया गया है कि वादी ने प्रतिवादी नं.2,3, और 4 को अंतिम भुगतान स्वीकार करने के लिए कहा लेकिन बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किए गये जबकि, बिक्री विलेख को प्रतिवादी Nos.6 से 9 के और कुछ अन्य व्यक्तियों के पक्ष मे निष्पादित किया गया। खरीदारों के नामों का उल्लेख वाद में किया गया था। इस तरह के तथ्यों के आधार पर, अन्य बातों के साथ् साथ वादी ने प्रतिवादियों को वाद संपत्ति को अलग करने और सोसायटी के सदस्यों को उनके संबंधित आवासीय आवासों से बेदखल करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद की मांग की। वादी ने अन्य प्रतिवादियों के पक्ष में बिक्री विलेखों को अवैध, अमान्य शून्य और वादी पर बाध्यकारी नहीं घोषित करने की भी मांग की। वादी ने बिक्री विलेख को निष्पादित करने और पंजीकृत करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री का भी दावा किया है जिसे उन्होंने प्रतिवादी नं. 2 से कथित रूप से खरीदा था, जिसे प्रतिवादी द्वारा निष्पादित बिक्री समझौते के संदर्भ में वादी-सोसायटी के सदस्यों के पक्ष में संकल्प दिनांक 16.11.1995 के माध्यम से प्रतिवादी नं. 2 से खरीदा गया था

---

9 2007(2) पी. एल. जे. 689

वाद के पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं होता है कि वास्तव में, मुकदमा प्रतिवादी नं. 2 से 4 द्वारा किए गए समझौते/वादे के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करता है । चुनौती प्रतिवादी नं..2,3 और 4 द्वारा अन्य प्रतिवादियों के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेखों के लिए भी है।चूँकि बिक्री विलेखों को चुनौती दी गई है, इसलिए वादी को इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के संदर्भ में "निरंजन कौर बनाम निर्बिगन कौर 1981 पी.एल.जे.-423" मामले में यथामूल्य न्यायालय शुल्क लगाने के लिए उचित रूप से कहा गया है।

(14) एक और विद्वान एकल पीठ ने मोहित कुमार और अन्य बनाम भरत सिंह और अन्य[10] के मामले में माना कि वादी अप्रत्यक्ष रूप से मात्र शब्दों की बाजीगरी से न्यायालय शुल्क के भुगतान से बचने के लिए घोषणा के लिए डिक्री को कहकर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे की मांग कर रहा था। उसी का अनुच्छेद 4 निम्नानुसार पढा जा सकता हैः-

"4. पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि निचले न्यायालय ने आदेश 7, नियम 11 सी. पी. सी. के तहत प्रार्थना पत्र पर सही निर्णय लिया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में दिनांक 28.01.2008 को बिक्री समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद दायर किया था, हालांकि केवल शब्दों की बाजीगरी के कारण, याचिकाकर्ता ने केवल न्यायालय शुल्क के भुगतान से बचने के लिए घोषणा के लिए डिक्री की मांग की थी। कानून के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। इन तथ्यों पर, वर्तमान मामला **बंट सिंह बनाम नोबल ट्रेड कोन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य** का मामले (ऊपर) से अलग है । सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए, बिक्री के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री मांगी गई थी और निचले न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को न्यायालय शुल्क लगाने का सही निर्देश दिया है।"

(15) उपर्युक्त मामलों में निर्धारित कानून को लागू करते हुए, न्यायालय शुल्क का पता लगाने के लिए, न्यायालयों को मूल राहत का पता लगाने के लिए वाद में लगाए गए आरोपों पर गौर करने की आवश्यकता है। बेचने के लिए दो समझौते शामिल हैं। बेचने के लिए एक समझौता दिनांक 06.10.2016 का है और दूसरा दिनांक 04.10.2016 का है। वे घोषणा की मांग कर रहे हैं कि दिनांक 06.10.2016 का बेचने का समझौता वैध है और साथ ही साथ दिनांक 06.10.2016 के बेचने के समझौते के अनुसरण में बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं है, बल्कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद है। उपरोक्त के अलावा, वे दिनांक 04.10.2016 के बेचने के समझौते के अनुसरण में बिक्री-विलेख के निष्पादन की भी मांग कर रहे हैं, जो फिर से विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे के अलावा और कुछ नहीं है।

[10] 2016(3) पीएलआर 572 56

(16) राहत का अवलोकन करने पर , जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और विस्तृत है, मेरे मन में कोइ संदेह नही रह गया है कि वास्तव में यह घोषणा और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए वाद होने के रूप में उल्लेख करने की आड़ में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए भी एक मुकदमा था।

(17) यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं को एक वाद में न्यायालय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें वे उस बिक्री-विलेख को दरकिनार करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें वे पक्षकार नहीं हैं, क्योंकि बिक्री-विलेख को दरकिनार करने की मांग करने के अलावा जिसमे वह एक पक्ष नहीं है मदद नहीं करता है याचिकाकर्ता-वादीगण दो अलग-अलग समझौते के आधार पर अपने पक्ष में दो अलग-अलग बिक्री-विलेखों के निष्पादन की भी मांग कर रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं बल्कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा है और इसलिए, उन्हें केवल अलग-अलग शब्दों और भाषा का उपयोग करके यथामूल्य न्यायालय शुल्क से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(18) तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवाहरिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानवन के उददेश्य के लिये उपयुक्त रहेगा ।

राम गोपाल